

## कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक स: अ.छा.क./शु.मुक्ति सामान्य/2018-19/1202 दिनांक: जनवरी 09, 2019

विषय: स्नातक कक्षाओं के सामान्य वर्ग के छात्रों को शैक्षिक वर्ष 2018-19 में शुल्क मुक्ति हेतु सूचना।

विश्वविद्यालय के स्नातक कक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों से शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो इस कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। शुल्क मुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं:-

1. छात्र के अभिभावक की वर्ष 2018-19 की सकल वार्षिक आय रुपये 25000/- से अधिक न हो (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र वांछित)।
2. छात्र को किसी भी प्रकार का अस्थायी निष्कासन दंड ए.पी. अथवा सी.पी. का दंड न मिला हो।
3. शुल्क मुक्ति शैक्षिक वर्ष 2018-19 के प्रथम सत्र में पंजीकरण की तिथि से सत्र की अंतिम परीक्षा समाप्त होने की तिथि तक देय होगी।
4. वर्ष 2018 में प्रवेश लेने वाले नये छात्रों को दोनों षट्मासों का **SEMESTER REGISTRATION CARD** वर्ष 2018-19 की पुराने (पुराने बैच के) छात्रों की शैक्षिक वर्ष 2017-18 के दोनों षट्मासों की अंकतालिका (ग्रेड शीट) संलग्न करनी होगी।
5. आय का मूल प्रमाण पत्र वेतनभोगी अभिभावकों का सेवायोजकों से एवं निजी व्यवसाय का तहसीलदार अथवा परगनाधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर सहित हो (संलग्न करना आवश्यक है)। 2018-19 की आय 31 मार्च 2019 तक की ही आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र छात्र के सलाहाकार/अधिष्ठाता अनुमोदित होना आवश्यक है।
7. सभी प्रकार से पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2019 तक स्वीकार किये जायेंगे। दिनांक 05.03.2019 के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व छात्र का स्वयं होगा।

(आर0 एस0 जादौन)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. समस्त महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त महाविद्यालयों के सूचना पटों, छात्रावासों, पुस्तकालय, कुलसचिव, नियंत्रक एवं छात्र कल्याण के सूचना पटों पर।
3. कुलसचिव।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।